आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 23/14–15

शीला देवी वनाम् रामरूप सिंह

आदेश

29.11.14 आवेदिका शीला देवी पति सतेन्द्र सिंह,ग्राम–मेहन्दिया बाजार,थाना–मेहन्दिया,जिला अरवल ने जिला जन शिकायत कोषांग अरवल में दाखिल आवेदन के आलोक में वाद संचालन की गई। तदुपरान्त आवेदिका द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर विपक्षी द्वारा दखल कब्जा को रोकने एवं भूमि की मापी कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–मेहन्दिया,थाना–मेहन्दिया,थाना नं० 136, जिला अरवल में अवस्थित है, निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
188	3036	2.66 डी०	उतर–खरीदार, दक्षिण–वैजनाथ सिंह वो देवनाथ सिंह, पुरब–रविन्द्र सिंह,वो रामलखन सिंह, प०–भगवान सिंह

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) विवादित भूमि आवेदिका को निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 07.06.12 को श्री मुन्द्रिका सिंह से खरीदगी भूमि है जिसपर शांति पूर्वक दखल कब्जा में चली आ रही है।

(2) प्रतिवादी भूमि विकेता का भतीजा है।

(3) प्रतिवादी चन्द्रिका सिंह का पुत्र है। मुन्द्रिका सिंह और चन्द्रीका सिंह आपस में सहोदर भाई है और दोंनों भाई पंचनामा के आधार पर आपस में बॅट गये।

(4) प्रतिवादी आवेदिका को अवला समझकर बल पूर्वक भूमि को दखल कब्जा करना चाहते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगी अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) विवादित भूमि प्रतिवादी का खतियानी भूमि है जो पूर्वज के नाम से कायम है

जिसपर शांति पूर्वक दखल कब्जा चले आ रहे हे।

(2) आवेदिका प्रतिवादी के चाचा मुन्द्रिका सिंह से गलत तरीके से जमीन प्राप्ति का कागजात बनाया है।

(3) विवादित भूमि पर जहानाबाद सब जज के न्यायालय में टाईटिल सूट वाद संख्या 15/12 चल रहा है जिसे आवेदिका के पति पक्षकार है जिस पर श्रीमान् के द्वारा सूचना भेजी गई है,जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय में ही संभव है। टाईटिल सूट के मामला को निष्पादन का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

(4) प्रतिवादी के खतियान प्रश्नगत् भूमि पर भौतिक कब्जा टाईटिल सूट की प्रकिया के आलोक में वाद में कोई आदेश पारित न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मापी प्रतिवेदन खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। स्वत्व वाद संख्या 15/12,चन्द्रिका सिंह एवं अन्य वनाम् मुन्द्रिका सिंह में दिनांक 16.06.12 को पारित आदेश में सब जज प्रथम ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। उक्त वाद में विवादित भूमि भी शामिल है। आवेदिका ने दिनांक 07.06.2012 को विवादित भूमि को मुन्द्रिका सिंह से खरीद किया है। जमीन बिक्री करने के पूर्व ही,चन्द्रिका सिंह एवं उनके पुत्रों रामकृपाल सिंह एवं रामरूप सिंह (वादी) के द्वारा दिनांक 17.01.12 को उक्त स्वत्व वाद दायर कर दिया था।

उपरोक्त परिस्थिति में प्राधिकार द्वारा आवेदिका के द्वारा मांगी गयी अनुतोष को स्वीकार नहीं किया जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

29.11

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

29.11

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।